खानपुर रेकार्ड आफ राइटस में दर्ज थी उस समय उक्त भूमि का खसरा नम्बर 846/27,40,41,42 था जिसक मुहवा वाला खेत कहा जाता था जिसका रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा था उक्त भूमि पर सम्वत 2017 से 2020 के पूर्व गंगराराम पुत्र चंदू मीणा का जबरन कब्जा होने के कारण एवं खातेदार रूकमा पत्नि सोन्या मीणा के परिवार में काई नही होने के कारण स्व0 रूकमा के कोई जीवित संतान नही होने के कारण रूकमा बाई ने उक्त वर्णित भूमि 16 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमिदान पत्र द्वारा महासुद्वि 6 सम्वत 2016 को मंदिर अपीलान्ट नम्बर 1 नाबालिग भगवान सीतराम मंदिर को दान कर दी थी– जिसका दान पत्र रूकमा बाई एवं गवाहान हरगोविन्द एवं मूलचंद के हस्ताक्षर है– उक्त भूमि अपीलान्ट नं0 1 के नाम दान होने से ही मंदिर पुजारी भंवरलाल ब्राहम्ण उसी समय से उक्त भूमि पर पर काश्त करने लगा एवं सम्वत 2018 से 2021 की खसरा गिरावरी में भंवरलाल जेली काश्तकार दर्ज हो गया–गॉव वालो ने मिलकर मंदिर सीताराम के हक में कब्जा भूमि गंगाराम से छुडवाकर पुजारी भंवरलाल को कब्जा पंचायत द्वारा संभला दिया गया इसके उपरान्त पुजारी भंवरलाल गॉव छोड़ कर चला गया एवं मंदिर भगवान सीताराम के हक में ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट 2 लगायत 6 को मंदिर संरक्षक नियुक्त कर मंदिर की भूमि को मुनाफा काश्त पर देने का हक प्रार्थी अपीलान्ट 2 लगायत 6 को दे दिया तब से ही अपीलान्ट मंदिर की सेवा पुजा करते व मुनाफा काश्त पर भी काश्त करते आ रहे है। यह कि रूकमा बाई ने उक्त आराजी मंदिर के नाम दान करने के उपरान्त गोकूल मीणा चांदखेड़ी से नाता विवाह कर लिया नाता विवाह करने के बाद रूकमा बाई ने गोकुल मीणा के नुत्फे से ग्यारसीबाइ पुत्री को जन्म दिया जो कि रेस्पो0 नं0 5 है जो कि रूकमा बाई के वैधानिक पति सोन्या मीणा उर्फ सरिया की संतान नही है , बल्कि नाता विवाह के बाद गोकुल के नुत्फे से उत्पन्न हुई संतान है रेस्पो0 नम्बर 1 लगायत 4 ग्यारसी बाई एवं नाथी बाई बहिन है। मृतक नाथीबाई की संताने गोकुल मीणा से उत्पन्न है जिसका कोई भी वैधानिक या कानूनी अधिकारी रूकमा बाई की सम्पत्ति में नही है–रूकमा बाई के वक्त दान कोई ओलाद ना होना कथन किया है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इन्तकाल बिना जॉच पड़ताल किये व बिना सबूत सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 22.07.2017 को तस्दीक किया है जो शून्य एवं प्रभावहीन होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेरे अपील निरस्त किया जावें।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेसपोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पोंडेन्टस नं0 1 लगायत 5 की ओर से वकील श्री पूरीलाल राठोर द्वारा वकालत नाम प्रस्तुत कर लिखित जवाब रूपी बहस पेश की गई । वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो के तथ्य दोहराते हुवे कथन किया कि रूकमा बाई द्वारा उक्त आराजी मंदिर को दान कर दी गई थी एवं रेस्पो0 नं0 1 लगायत 5 रूकमा बाई के विधिक वारिसान भी नही है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जॉच किये उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है, जो नियम विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2017 निरस्त किया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में उक्त अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई उचित कारण अंकित नही किया है, उक्त अपील दर्ज होन योग्य ही नही है, अपीलान्टस मंदिर की आड़ में उक्त भूमि पर अतिचार करना चाहते है, उक्त आराजी का कोई दान नही हुआ है रूकमा बाई के दान करने के जो कथन है इस चरण में दर्शाये वे कानून से मेल नही खाते है, नही दानपत्र का पंजीयन भी अनिवार्य हे जो कानूनी प्रकिया है। अतः अपील अपीलान्टस मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टस को राहत प्रदान की जावे।

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी भवानीसिंह पालावत आर०ए०एस०

प्रकरण सं० 70/अपील/17 तारीख दायरा 04.12.17

1. भगवान सीताराम मंदिर बलदेवपुरा नाबालिग मूर्ति संरक्षक वली मंदिर बलदेवपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
2. भगवान सिंह आ० किशनलाल जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
3. हरिसिंह आ० मोतीलाल जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
4. भारतसिंह आ० मथुरालाल जाति मीणा निवासी बल्देवपुरा तहसील खानपुर ।
5. छीतरलाल आ० रामप्रताप मीणा निवासी बल्देवपुरा तहसील खानपुर।
6. हरिराम आ० भेरूलाल जाति मीणा निवासी बल्देवपुरा तहसील खानपुर।

-------------अपीलान्टस

बनाम

1. जसराज आ० जयपाल जाति मीणा निवासी सोरसन तहसील अन्ता जिला बारां।
2. बृजमोहन आ० जयपाल जाति मीणा निवासी सोरसन तहसील अन्ता जिला बारां।
3. कान्तीबाई पुत्री जयपाल पत्नी मांगीलाल जाति मीणा निवासी सगसरिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. शान्तिबाई पुत्री जयपाल पत्नि बाबूलाल आयु 48 साल निवासी खानपुरिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
5. ग्यारसीबाई पुत्री सरिया पत्नि मदनलाल जाति मीणा निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
6. सरपंच ग्रम पंचायत बरेड़ा पं०स० खानपुर जरिये श्रीमान तहसीलदार सा० तहसील खानपुर ।

---------------रेस्पोडेन्टस

<u>अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय ग्राम पंचायत बरेड़ा प०स० खानपुर</u> दिनांक 22.07.2017 नामा०सं० 896 दिनांक 22.07.207

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्र कुमार ठाटोदिया वकील अपीलान्टस

2. श्री पूरीलाल राठौर वकील रेस्पोडेन्टस

–: निर्णयः– दिनांकः– 21.03.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक न्यायालय ग्राम पंचायत बरेड़ा प०स० खानपुर के निर्णय दिनांक 22.07.2018 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बरेड़ा पटवार क्षेत्र भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अकावद खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के नया खाता सं० 164 पुराना खाता सं० 163 में बतौर काश्तकार रूकमा बाई बेवा सरिया कोम मीणा का नाम बतोर खातेदार काश्तकार खसरा नम्बर 145 की 7 बीघा 1 बिस्वा ख०न० 148 की 10 बीघा 12 बिस्वा कुल 2 किता की 17 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित हैं–यह कि सम्वंत 2017 से 2020 खाता सं० 129 था जिसकी खातेदारी काश्तकार रूकमा बाई बेवा सोन्या मीणा निवासी

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर गौर किया व रेकार्ड का अवलोकन किया हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल नं. 896 जो तस्दीक किया गया है, को निरस्त करना आवश्यक समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 896 दिनांक 22.07.17 ग्राम बरेडा तहसील खानपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस प्रकरण में सभी संबंधित पक्षकारों को एक बार पुनः तलब कर उनका पक्ष सुने तथा आवश्यक तहकीकात कर पुनः नियमानुसार इन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही अमल में लावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो, हुक्म खुले न्यायालय में आज दिनांक 21.03.2018 को सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड